न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारीः— हरभान मीणा आर.ए.एस.

अपील स. 98/2011/75 एलआर एक्ट

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

—अपीलाण्ट

**बनाम**

1. जंगीरसिंह पुत्र खजानसिंह जाति रायसिख (फौत)

1/1 तारो बाई पत्नि जंगीरसिंह जाति रायसिख निवासी बशीर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

1/2 दरेश सिंह पुत्र जंगीरसिंह जाति रायसिख निवासी बशीर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

1/3 रेशमसिह पुत्र जंगीरसिंह जाति रायसिख निवासी बशीर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

1/4 कैलाशकौर पत्नि कृष्ण सिंह पुत्री जंगीरसिंह जाति रायसिख निवासी सुन्दरपुरा ढाणी तहसील जलालाबाद जिला फिरोजपुर पंजाब।

1/5 बीना बाई पुत्री जंगीरसिंह पत्नि सुखवीरसिंह जाति रायसिख निवासी सूरेवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

2. अमरसिंह पुत्र खजानसिंह (फौत)

2/1 छीलो बाई पत्नि अमरसिंह जाति रायसिख निवासी बशीर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

2/2 संदीप पुत्र अमरसिंह जाति रायसिख निवासी बशीर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

2/3 कुलदीप पुत्र अमरसिंह जाति रायसिख निवासी बशीर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

2/4 सुनील पुत्र अमरसिंह जाति रायसिख निवासी बशीर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

3. सुखदेवसिंह पुत्र कश्मीरसिंह जाति रायसिख निवासी बशीर तहसील टिब्बी।

4. करनैलसिंह पुत्र खजानसिंह जाति रायसिख निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

—रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश उपखण्डाधिकारी टिब्बी दिनांक 23.08.10
प्रकरण सं0 148/2010 अनवानी जंगीरसिंह बनाम सरकार

उपस्थित :—

1. श्री खुशकरण सिंह खोसा, राजकीय अधिवक्ता अपीलाण्ट
2. श्री विनोदकुमार ऐरन अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 3
3. श्री इन्द्राज गोदारा अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं. 4

निर्णय दिंनाक : 05.04.2018

1. प्रकरण के तथ्य सक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष चक 8 एफटीपी व 6 एफटीपी की कुल 5.933 है0 भूमि कस्टोडियन विभाग से आवंटित होने पर उक्त भूमि की सनद जारी किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो0 के उक्त आवेदन के आधार पर रिपोर्ट तहसील प्राप्त होने के उपरांत

उक्त भूमि का रेस्पो0 के हक मे अपीलाधीन आदेश के जरिये खातेदारी दिये जाने एवं राष्ट्रपति भारत सरकार शब्द को कलमजन किये जाने का आदेश जारी किया गया है, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी अपील में दर्ज तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि आदेश अधीनस्थ न्यायालय का विधिक प्रावधानो के विपरीत है। रेस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय मे प्रश्नगत भूमि की खातेदारी सनद जारी करवाये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर भूमि पर अपना कब्जा होने के आधार पर एवं जमाबंदी मे नाम दर्ज होने के आधार पर खातेदारी सनद जारी किये जाने की ईस्तदुआ की गई थी परन्तु प्रश्नगत भूमि से संबंधित आवंटन आदेश ही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही किया गया जिससे मूल आवंटी को भूमि आवंटित किया जाना सिद्ध नही था इसलिये प्रश्नगत भूमि पर रेस्पो0 को किसी सूरत मे खातेदारी नही दी जा सकती थी। प्रश्नगत भूमि की खातेदारी देने से पूर्व आवंटी द्वारा आवंटन की अगर कोई राशि बकाया थी तो खजाना राज मे जमा करवाई गई या नही इस तथ्य की कोई भी रिपोर्ट पत्रावली पर प्रस्तुत नही हुई और ना ही मूल आवंटन पत्रावली तलब की गई और ना ही कब्जा बाबत स्पष्ट साक्ष्य प्रस्तुत हुए थे एवं साक्ष्य स्वरूप दस्तावेजात की चित्रप्रतियां प्रस्तुत होने से वे विश्वास योग्य दस्तावेज नही थे। आवेदन पत्र विधिक प्रावधानानुसार भी प्रस्तुत नही हुआ था। राजकीय अभिभाषक द्वारा अन्त में अपनी अपील को विलम्ब को माफ कर मियाद में शुमार करने का निवेदन किया व कथन किया कि इस हेतु धारा 5 कानून मियाद का प्रार्थना पत्र अलग से विधि अनुसार प्रस्तुत किया हुआ है इसलिये अपील को विलम्ब को क्षमा दान कर अपील मियाद शुमार की जाकर, अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेण्ट द्वारा अपील के तथ्यो का विरोध प्रस्तुत करते हुए अपील को मियाद बाहर होना बताकर निरस्त करने का निवेदन किया तथा बहस में यह कथन किया कि अपील मियाद बाहर है। इस विलम्ब को क्षमा दान करने हेतु जो कारण अपीलार्थी द्वारा बताये गये है उन कारणो के आधार पर विलम्ब को क्षमा नही किया जा सकता इसलिये अपील को मियाद के बिन्दु पर निरस्त करने का निवेदन किया। विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 द्वारा बहस में निवेदन किया कि मियाद के बिन्दु के अतिरिक्त अपील के अन्तर्गत जो भी बिन्दु उठाये गये है वे कतई आधारहीन है रिकार्ड के विपरीत है समस्त रिकार्ड अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, नियमन व खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने से पूर्व पूर्ण प्रक्रिया की पालना कानून के मुताबिक की गई है। जमाबन्दी में उक्त खजानसिंह पुत्र जीवन सिंह जाति रायसिख अलाटी राष्ट्रपति भारत सरकार के रूप में रिकार्ड में दर्ज थी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जो खजानसिंह पुत्र जीवनसिंह के फौत होने पर उनके वारिसान के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। खजानसिंह की मृत्यु पश्चात उक्त भूमि की खातेदारी सनद जारी करने हेतु प्रत्यार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। खातेदारी दिये जाने से पूर्व समस्त प्रक्रिया की पालना करते हुए रिपोर्ट लेते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है।

5. अपीलार्थी का अन्य ऐतराज की इसमें रकम पूर्ण जमा थी या नही इसकी रिपोर्ट नही ली गई यह ऐतराज भी विधि सम्मत नही है इस संबध में रिपोर्ट ली गई तथा रकम जमा होने का तथ्य पत्रावली पर आया तत्पश्चात नियमन शुल्क भी जमा करवाया गया इसलिये सरकारी रकम बकाया होने का तथ्य भी अपीलार्थी का सही नही है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत है। अधिवक्ता रेस्पो0 द्वारा बहस के अन्त मे कथन किया कि वादग्रस्त भूमि खजानसिंह पुत्र ज्वायासिंह जाति रायसिख को चक 6 एफटीपी व 8 एफटीपी मे 5.933 है0 आराजी आवंटित हुई थी। खजानसिंह पुत्र ज्वाया सिंह का स्वर्गवास हो गया। उसके पुत्र जंगीरसिंह, अमरसिंह, कश्मीरसिंह, लखवीर सिंह व एक पुत्री ईसरा बाई थी। इसमे कश्मीरसिंह, लखवीरसिंह, जंगीरसिंह फौत हो गये। उक्त खजानसिंह पुत्र ज्वाया सिंह की आराजी चक 6 एफटीपी का ईंतकाल सं. 202 दिनांक 31.08.2010 व चक 8 एफटीपी का इंतकाल सं. 223 दिनांक 30.09.2010 उक्त खजानसिंह पुत्र, पोतो व पुत्रियों के नाम हो गया। रेस्पो0 सं. 4 करनैलसिंह पुत्र खजानसिंह का पुत्र नही है इसलिये खजानसिह पुत्र ज्वायासिंह के नाम की आराजी का इंतकाल रेस्पो0 सं. 4 के नाम दर्ज नही हुआ। रेस्पो0 सं. 1 ता 3 के हक मे हुए इंतकाल के विरूद्ध उक्त करनैलसिंह ने अपील उपखण्ड अधिकारी टिब्बी के पेश की जो खारिज हुई। रेस्पो0 सं. 4 का पिता खजानसिंह पुत्र ज्वालासिंह की औलाद है। पर्चा खतौनी जमाबंदी व इंतकाल व समस्त रिकार्ड मे खजान पुत्र ज्वायासिंह दर्ज है, कही भी खजानसिंह वल्द ज्वायासिंह उर्फ ज्वालासिंह दर्ज नही है। अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

6. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेण्ट सं. 4 ने अपनी बहस मे कथन किया कि उक्त अनवान की अपील हाजा मे रेस्पो0 सं. 1 ता 3 ने विचारण न्यायालय मे एक प्रार्थना पत्र बाबत कस्टोडियन विभाग द्वारा आवंटित भूमि के खातेदारी अधिकार देने हेतु प्रस्तुत किया था जो विचारण न्यायालय द्वारा स्वीकार कर रेस्पो0 सं. 1 ता 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राष्ट्रपति भारत सरकार शब्द को कलमजन किया जाने का आदेश पारित किया गया था। विवादित भूमि चक 6 व 8 एफटीपी की भूमि रेस्पो0 सं. 4 के पिता स्व. खजानसिंह पुत्र ज्वायासिंह उर्फ ज्वालासिंह को कस्टोडियन विभाग से आंवटित भूमि है। जिसका इंतकाल रेस्पो0 सं. 1 ता 3 ने अपने नाम से फर्जी तौर पर इंतकाल सं. 82 दिनांक

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

26.04.98 को दर्ज करवा लिया। जिसके विरूद्ध रेस्पो0 के पिता ने विचारण न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी मे अपील प्रस्तुत की जो निर्णय दिनांक 25.09.02 को खारिज की गई। जिसके विरूद्ध अपील संभागीय आयुक्त बीकानेर मे दायर की जो आज भी लम्बित है तथा इस भूमि बाबत रेस्पो0 के पिता ने एक दावा बेदखली हेतु अनवानी खजानसिंह बनाम गुरदेवा बाई सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी मे प्रस्तुत किया जिसमे दिनांक 28.04.98 को दावा का निर्णय व डिक्री रेस्पो0 सं. 4 के पिता के पक्ष मे पारित की गई तत्पश्चात रेस्पोडेंट द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर निर्णय व डिक्री अपास्त करते हुए सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया तथा दिनांक 11.11.02 को अदम पैरवी मे खारिज किया गया। जिसके विरूद्ध रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र आज भी लम्बित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जावें।

7. बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

8. अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयष्कर होने के तथ्य को मद्देनजर रखते हुए धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है अपील अपीलाण्ट अंदर मियाद शुमार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अन्तर्गत वसूली योग्य बकाया राशि के संबध में तहसीलदार से रिपोर्ट आदि ली गई पत्रावली में अकिंत तथ्यों के अनुसार प्रश्नगत भूमि भारत सरकार की निष्क्रांन्त भूमि थी जो खजानसिंह पुत्र जीवनसिंह अलॉटी राष्ट्रपति भारत सरकार थी जो खजानसिंह के फौत होने पर उक्त भूमि खजानसिंह के वारिसान रेस्पोडेंटस एवं अन्य वारिसान के नाम दर्ज हुई। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्ट सं. 1 ता 3 द्वारा खातेदारी सनद जारी किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार ने प्रश्नगत भूमि पर रेस्पो0 का कब्जा काश्त होना बताया है तथा सीलिंग सीमा से प्रभावित नहीं होना बताया है। अधीनस्थ न्यायलाय ने खातेदारी सनद जारी करने हेतु आपत्ति का प्रकाशन स्थानीय समाचार पत्र में किया है। प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 बी का उल्लंघन होना नहीं पाया गया है। पटवारी भू–अभिलेख निरीक्षण एवमं तहसीलदार की रिपोर्ट माह अगस्त 2010 से विवादित भूमि पर प्रार्थी का कब्जा काश्त होना साबित है।

9. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 06.10.09 को निष्क्रांत (कस्टोडियन) कृषि भूमि के निस्तारण एवं पूर्व आवंटियों को खातेदारी अधिकार प्रदान करने हेतु नियमों के संबंध मे परिपत्र जारी किया गया था, उक्त परिपत्र के अनुसार ऐसे प्रकरण जिनमे मूल आवंटियों ने खातेदारी अधिकार प्राप्त होने से पूर्व ही भूमि का बेचान औपचारिक/अनौपचारिक तरीके से किसी अन्य को कर दिया है और मौका पर मूल आवंटी के बजाय अन्य व्यक्ति काबिज है, तो ऐसे हस्तान्तरण को उपखण्ड अधिकारी द्वारा आवंटन सलाहकार समिति से सलाह करके नियमन

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

शुल्क एवं शास्ति नियमानुसार जमा करवाने के पश्चात हस्तान्तरण का नियमन किये जाने का प्रावधान किया गया है। हस्तगत प्रकरण मे मूल आवंटी की मृत्यु होने के उपरांत आवंटित भूमि मृतक आवंटी वारिसान रेस्पो0 एवं अन्य के नाम दर्ज हुई। रेस्पो0 सं. 1 ता 3 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष खातेदारी सनद जारी किये जाने हेतु आवेदन किया। प्रकरण मे तहसीलदार द्वारा सनद जारी करने हेतु सिफारिस की गई है तथा तहसीलदार आवंटन सलाहकार समिति का सदस्य सचिव है। ऐसी स्थिति राज्य सरकार के परिपत्र के प्रावधानो की पालना करते हुए खातेदारी प्रदान की गई है। परन्तु रेस्पो. सं. 4 करनैलसिंह का तर्क है कि वादग्रस्त भूमि रेस्पो0 सं. 4 के पिता खजानसिंह पुत्र ज्वायासिंह उर्फ ज्वालासिंह की है। रेस्पो0 सं. 1 ता 3 के नाम गलम रूप से दर्ज हुई है। प्रश्नगत भूमि रेस्पो0 सं. 4 के पिता स्व. खजानसिंह पुत्र ज्वायासिंह उर्फ ज्वालासिंह को कस्टोडियन विभाग से आवंटित भूमि है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि के आवंटी खजानसिंह पुत्र ज्वालासिंह एवं खजानसिंह पुत्र ज्वायासिंह उर्फ ज्वालासिंह का भी विवाद है। रेस्पो0 सं. 3 का तर्क है कि वादग्रस्त भूमि खजानसिंह पुत्र ज्वालासिंह को आवंटित भूमि है तथा रेस्पो0 सं. 1 ता 3 उनके जायज व कानूनी वारिसान है जिनके नाम खजानसिंह पुत्र ज्वालासिंह की मृत्यु के बाद वादग्रस्त भूमि इंतकाल दर्ज हुआ है, आदि विरोधाभाषी कथन है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

10. उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.08.2010 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण मे रेस्पो0 सं. 4 करनैलसिंह को बतौर पक्षकार संयोजित करते हुए उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर कस्टोडियन भूमि के आवंटन संबंधी राजस्व रिकार्ड से संतुष्टि करते प्रश्नगत भूमि के वास्तविक आवंटी एवं आवंटी के जायज वारिसान की जांच करते हुए प्रकरण मे पुनः नये सिरे से कार्यवाही करते हुए प्रकरण का 6 माह मे निस्तारण करें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 04.05.2018 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 05.04.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीना आर.ए.एस.)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official